सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी श्री वासुदेव मालावत (आर.ए.एस.)

**प्रकरण संख्या एफ.एस.एस.एक्ट 17/2015**

**बउनवान**

श्री राजेश कुमार रामचन्दानी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकि. एवं स्वा.अधिकारी, बारां **(प्रार्थी)**

**बनाम**

1. श्री मयूर कुमार शाह पुत्र श्री शानितलाल शाह, जाति शाह, निवासी गुरूद्वारे के पास कोटा रोड़, बारां जिला बारां **(मौके पर मौजूद विक्रेता)** मेसर्स राकेश किराना स्टोर, कोटा रोड़ बारां।
2. श्री विजेश कुमार शाह पुत्र श्री शान्तिलाल शाह निवासी गुरूद्वारे के पास कोटा रोड़ बारां **(प्रोपराईटर/मालिक)** मेसर्स राकेश किराना स्टोर, कोटा रोड़ बारां।
3. श्री संजीव सिंह पुत्र श्री एस.बी.एस. कुशवाह, निवासी जी.ए.डी. बस्ती के बगल मे ई–210 श्रीनाथपुरम, इंजीनियरिंग कॉलेज कोटा, **(नोमिनी/उपप्रबन्धक)** कोटा डेयरी, कोटा जिला दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ लिमिटेड अकेलगढ़, रावतभाटा रोड़ कोटा। **(अप्रार्थीगण)**

**जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (।।) एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011**

उपस्थिति :– 1– श्री राजेश रामचन्दानी खा.सु.अ. (प्रार्थी स्वंय)
2– श्री रूपचन्द सिंघावत एडवोकेट (अप्रार्थी क्रम 1व 2 की ओर से)
3– श्री अश्विनी दाधीच एडवोकेट (अप्रार्थी क्रम 3 की ओर से)

**निर्णय दिनांक 13.07.2018**

प्रकरण श्री राजेश कुमार रामचन्दानी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां द्वारा इस आशय का पेश किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 02.02.2015 को 1.15 पी.एम. पर मेसर्स राकेश किराना स्टोर, गुरूद्वारे के पास कोटा रोड़, बारां पर पहुंचा। वहॉ पर श्री मयूर कुमार पुत्र श्री शान्तिलाल जाति शाह, **(मौके पर मौजूद विक्रेता)** की हैसियत से उपस्थित थे, कि उपस्थिति में निरीक्षण किया।

यह कि आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु खाद्य पदार्थ **पाश्च्यूरीकृत स्टेण्डराइज्ड दूध (सरस शक्ति)** 500 मिली. की पॉली पाउच में डिफ्रिजर में लगभग 20 थैलियां रखे हुए थे, में मिलावट का शक होने पर उसमें से 500 मिली. के 4 पौलिपेक 02 लीटर सूखे तपेली में हिलामिलाकर एक समरूप करके वास्ते नमूना जांच उपस्थित गवाहान के समक्ष खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को 100/– रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की, मौके पर नमूना लेने की सूचना देने हेतु फार्म सं. 5 ए की प्रतियां तैयार की जिस पर विक्रेता, गवाहान एवं स्वंय हस्ताक्षर किये। नियमानुसार फर्द रिपोर्ट तैयार की तथा पढ़कर विक्रेता, गवाहान को सुनाया तथा उनके हस्ताक्षर करवाकर स्वंय हस्ताक्षर किये। जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने वास्ते नमूना जांच खरीदे हुए **पाश्च्यूरीकृत स्टेण्डराइज्ड दूध (सरस शक्ति)** 500 मिली. के 4 पौलिपेक को खोलकर कांच की चार साफ सूखी स्वच्छ शीशीयों में परीरक्षक फार्मलीन की 40–40 बूंदे डालकर एयरटाईट बन्द किया तथा लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. के लेबल चिपकाये प्रत्येक लेबल पर विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर करवाये तथा स्वंय भी हस्ताक्षर किए। **पाश्च्यूरीकृत स्टेण्डराइज्ड दूध (सरस शक्ति)** की खाली थेली चारों नमूना भाग को अलग अलग कागज में मय थेली लपेट कर फेवीकोल से चिपकाये तथा धागे से बांधकर नियमानुसार चपड़ी से सील किये।

आवेदक ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियॉ नियमानुसार तैयार एक नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति के सीलबन्द कर श्री नमोनारायण मीणा (संगणक) कार्या. मु. चि. एवं स्वा. अधि. बारां द्वारा खाद्य विश्लेषक, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। जो आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने एक नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति के सीलबन्द कर डीओ मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधि. बारां को जमा कर रसीद प्राप्त की जो आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक को डी.ओ. मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधि. बारां के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/ 2015/53 दिनांक 24.02.2015 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक FSSL/Kota/2015/247 दिनांक 20.02.2015 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया, **पाश्च्यूरीकृत**

**स्टेण्डराइज्ड दूध (सरस शक्ति)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 के तहत **असुरक्षित (Unsafe)** होना पाया गया। रिपोर्ट आवेदन के साथ संलग्न है।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी क्रम 1 व 2 द्वारा जर्ये अभिभाषक प्रस्तुत जवाब संक्षेप में इस प्रकार है कि अप्रार्थी उक्त दूध को विक्रय हेतु अप्रार्थी क्रम 3 से सीलबन्द प्राप्त करता है जिसे हूबहू हालत में रोजाना विक्रय कर देता है। नमूना प्रार्थी ने नियमानुसार नहीं लिया है खाली थैली में चिपकी हुई वसा को शामिल नहीं किया गया है। उक्त दूध के विनिर्माण या पेकिंग में अप्रार्थी क्रम 1 व 2 की कोई भूमिका नहीं होती। अतः अप्रार्थी क्रम 1 व 2 के विरूद्ध कार्यवाही निरस्त फरमावें।

अप्रार्थी क्रम 3 द्वारा जर्ये अभिभाषक प्रस्तुत जवाब संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा नमूना नियमानुसार नहीं लिया गया है प्रार्थी ने डिफ्रिजर से निकाल कर बिना पॉली पैक को हिलाये निर्धारित तापमान पर लाये बर्गर नमूना लिया है क्योंकि डिफ्रिजर का तापमान जमाव बिन्दु से नीचे होता है जिससे कि उसमें रखे गये पाउच में दुग्ध की वसा दुग्ध से अलग होकर थैली पर चिपक जाती है जो सामान्य तापक्रम पर कुछ समय रख कर हिलाने पर पिघल कर दुग्ध में मिलती है। जिसकी सम्पूर्ण सही जानकारी भारत सरकार के फूड सेफ्टी एण्ड स्टेण्डर्स अथोरिटी ऑफ इण्डिया नई दिल्ली के मेनुअल नं. 1 में एनालिसिस ऑफ मिल्क एण्ड मिल्क प्रोडक्ट के पेज नं. 7 में पेरा 1 में दी गई है (जिसकी प्रति संलग्न है) । उक्त पेरा में वर्णित विधि अनुसार नमूना लेने की प्रक्रिया पूर्ण रूप से दूषित है। अप्रार्थी ने नियमानुसार आवेदन कर अलग से जांच कराई तो वह रिपोर्ट पूर्व की रिपोर्ट से भिन्न आई। अलग अलग लेबोरेट्री में अलग अलग जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई जो सेम्पल की प्रक्रिया में त्रुटि को प्रमाणित करती है। अतः परिवाद खारिज किया जावे।

हमने बहस उभयपक्ष प्रार्थी एवं अभिभाषक अप्रार्थी की सुनी। दौराने बहस प्रार्थी ने आवेदन में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा जिस खाद्य पदार्थ **पाश्च्यूरीकृत स्टेण्डराइज्ड दूध (सरस शक्ति)** का विक्रय किया जा रहा था, वह जॉच मे **असुरक्षित (Unsafe)** होना पाया गया है। अप्रार्थी का उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत अपराध की श्रेणी मे आता है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

दौराने बहस अभिभाषक अप्रार्थी क्रम 1 व 2 ने जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि अप्रार्थी उक्त दूध को विक्रय हेतु अप्रार्थी क्रम 3 से सीलबन्द प्राप्त करता है जिसे हूबहू हालत में रोजाना विक्रय कर देता है। नमूना प्रार्थी ने नियमानुसार नहीं लिया है खाली थैली में चिपकी हुई वसा को शामिल नहीं किया गया है। उक्त दूध के विनिर्माण या पेकिंग में अप्रार्थी क्रम 1 व 2 की कोई भूमिका नहीं होती। अतः अप्रार्थी क्रम 1 व 2 के विरूद्ध कार्यवाही निरस्त फरमावें।

दौराने बहस पर्याप्त समय दिये जाने के बाद भी अप्रार्थी क्रम 3 एवं उनके अभिभाषक उपस्थित नहीं होने से आज उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर आदेश पारित किया गया।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया व पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया, अप्रार्थी के पास से वास्ते नमूना जांच लिया गया, खाद्य पदार्थ **पाश्च्यूरीकृत स्टेण्डराइज्ड दूध (सरस शक्ति)** जॉच मे **असूरक्षित (Unsafe)** होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (।।) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी मे आता है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के तहत, अप्रार्थी क्रम 3 को कुल 3000/– अक्षरे तीन हजार मात्र के आर्थिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाता है। तथा अप्रार्थी क्रम 1 व 2 के विरूद्ध कार्यवाही निरस्त की जाती है। अप्रार्थीगण उक्त राशि जर्ये चालान बैंक मे **निर्धारित मद 0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04 लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, 03 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि** में जमा करवाये।

निर्णय आज दिनांक 13.07.2018 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( वासुदेव मालावत )
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, बारां (राज.)